न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 222A/2021

वादी :– नाथी खॉ पुत्र हमीर खां कौम मुसलमान
सा. देह – गाडपुरा

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. खमा पुत्र हमले खां
2. शेरा पुत्र हमले खां मुसलमान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री नाथीगण स्वंय वादी।
2..श्री स्वयं प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 30/11/21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 263/147, 267/151 रकबा 25-09 बीघा, सरहद मौजा गाडपुरा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम मुसे खां होने से राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम नाथी खां दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान के अलावा सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज मुसे खां के स्थान पर नाथी खां सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:50 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....मुरे खां.... के स्थान पर ....नाथी खां.... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....तहसीलदार पचपदरा.... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ....263/147, 267/151.... रकबा ....25-09.... बीघा, सरहद मौजा ....आडपुरा.... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ....मुरे खां.... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~झमसीन~~ मूलनपुरा एवं तहसीलदार ....पचपदरा.... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ....मुरे खां.... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....नाथी खां.... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ....263/147, 267/151.... रकबा ....25-09.... बीघा, सरहद मौजा ....आडपुरा......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....मुरे खां.... पुत्र ....हमाले खां.... के स्थान पर ....नाथी खां.... पुत्र ....हमाले खां.... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....30/11/21.... **को कोर्ट केम्प कोर्ट**....मूलनपुरा.... **में मजमे आम में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:50 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
केम्प कोर्ट......भुमनपुरा......
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1 नामी खां पुत्र इमाये खां कौम मुसलमान भाडपुरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1. खमा पुत्र इमाये खां 2. शेरा पुत्र इमाये खां राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफ़िसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ......स्वंय...... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ......स्वयं...... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ......263/147...... रकबा ......24-09...... बीघा, सरहद मौजा ......भाडपुरा ......
267/151

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......मुरे खां...... पुत्र ......इमाये खां ...... के स्थान पर ......नामी खां...... पुत्र ......इमाये खां......खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......30/11/21...... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:15:50 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह		पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		